बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

संकल्प

विषय : कृषि रोड मैप वर्ष 2017–2022 का 154635.69 करोड़ रूपये (एक लाख चौवन हजार छः सौ पैंतीस करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति।

कृषि रोड मैप 2017–2022 का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक भारतीय के थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुँचाना है। इस रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, समावेशी विकास, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी का उद्देश्य भी पूरा होगा। कृषि रोड मैप कार्यक्रमों में ऐसी तकनीक पर जोर दिया जायेगा जो वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करेगा साथ ही भविष्य के अवसर भी अक्षुण्ण रहेंगे। कृषि रोड मैप के अधीन विभागवार प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है,

- **कृषि विभाग के अधीन** बीज विकास कार्यक्रम/बागवानी विकास कार्यक्रम/ जैविक खेती विकास कार्यक्रम/मिट्टी, बीज, कीटनाशी का गुणवत्ता विश्लेषण/ कृषि यांत्रिकरण/ भूमि एवं जल संरक्षण/ जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रम/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा समुन्नति कार्यक्रम/कृषि विपणन/कृषि प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन** मुर्गी विकास योजना/बकरी विकास योजना/पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम/कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम/गोशाला विकास योजना/पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान/पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजनाएँ/चारा उत्पादन एवं प्रत्यक्षण की योजना/समग्र गव्य विकास योजना/डेयरी उद्यमिता विकास योजना/आधुनिक डेयरी प्लांट की स्थापना/प्रशीतिकरण क्षमता का विस्तारीकरण/मत्स्य बीज वितरण/मत्स्य आहार का निर्माण/तालाबों का जीर्णोद्धार/आर्द्रभूमि का विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- **ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन** अवशेष बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए कार्य योजना कार्यान्वित किये जायेंगे।
- **जल संसाधन विभाग के अधीन** अन्तर्बेसिन स्थानान्तरण की नदी जोड़ योजनाएँ/ह्रासित सिंचन क्षमता को पुनर्स्थापित करने हेतु विस्तार, पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण की योजनाएँ/जल निस्सरण प्रक्षेत्र का कार्यक्रम/कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का कार्यक्रम/बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- **लघु जल संसाधन विभाग के अधीन** आहर पाईन टैंक सिंचाई योजना/वीयर सिंचाई योजना/भूगर्भ जल सिंचाई योजना/भूजल प्रबंधन/पुनर्स्थापन कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- **सहकारिता विभाग के अधीन** भंडारण क्षमता की अभिवृद्धि/प्रसंस्करण इकाई की स्थापना/सब्जी प्रसंस्करण विपणन/किसान क्रेडिट कार्ड/साख प्रवाह/व्यवसाय विकास/समेकित सहकारी परियोजना/फसल बीमा कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- **गन्ना उद्योग विभाग के अधीन** उच्च उत्पादकता तथा उच्च चीनीयुक्त गन्ने के प्रभेदों के लिए मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम/चीनी के रिकवरी के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम/राज्य के चीनी मिलों में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी के उन्नयन से संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- **राजस्व एवं भूमि सुधार के अधीन** सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण के कार्य किये जायेंगे।
- **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन** अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।

- **उर्जा विभाग के अधीन** कृषि कार्य के लिए सिंचाई हेतु नये विद्युत संबंध कार्यक्रम/ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता से संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- **पर्यावरण एवं वन विभाग के अधीन** वन भूमि के क्षेत्रों हेतु योजना/जल छाजन विकास कार्यक्रम/पार्को का उन्नयन एवं विकास/पौधा रोपण हेतु पौधों की आपूर्ति/वन भूमि के बहार के क्षेत्रों का योजना/कृषि वानिकी द्वारा किसानों की आय में वृद्धि से संबंधित योजना/वृक्षारोपन हेतु उपयुक्त के पौधों का चयन से संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- **खाद्य प्रसंस्करण के अधीन** मक्का तथा दलहन में अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता का विकास/फल सब्जी एवं अन्य प्रसंस्करण/वेयर हाऊसिंग में अतिरिक्त क्षमता का विकास से संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।

2. वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 तक विभागवार संभावित व्यय का अनुमान निम्न प्रकार से किया गया है :– (राशि करोड़ रू० में)

विभाग	अनुमानित व्यय
कृषि विभाग	21612.78
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	5685.91
ग्रामीण कार्य विभाग	52935.00
लघु जल संसाधन	25777.00
जल संसाधन	24614.41
सहकारिता	6131.92
गन्ना	1090.02
राजस्व एवं भूमि सुधार	432.07
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	2262.40
ऊर्जा	7070.86
पर्यावरण एवं वन	2435.32
खाद्य प्रसंस्करण	4588.00
कुल	**154635.69**

3. कृषि रोड मैप में शामिल विभागों के द्वारा आवश्यकता के अनुसार योजना उदव्यय प्राप्त कर बजट उपबंध कराया जायेगा। बजट उपबंध के उपरान्त सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
4. रोड मैप कार्यक्रमों की सतत् समीक्षा की जायेगी तथा इस संबंध में प्राप्त सुझाव के आलोक में रोड मैप कार्यक्रमों को परिवर्द्धित किया जा सकेगा।
5. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक : 3.10.2017 को प्राप्त है, जो संचिका संख्या– पी०पी०एम०–70/2016 के पृष्ठ सं०– 34/टि० पर संधारित है।
6. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार सहमति दिनांक– 06.10.2017 को संचिका संख्या– पी0पी0एम0–70/2016 के 36/टि0 में प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.10.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–70 / 2016 – 3926 / कृ०, पटना, दिनांक 06 - 10 - 2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / उप सचिव, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति (सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

6.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–70 / 2016 – 3926 / कृ०, पटना, दिनांक 06 - 10 - 2017

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–70 / 2016 – 3926 / कृ०, पटना, दिनांक 06 - 10 - 2017

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक / सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक / संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी / मुख्यालय में योजना से संबंधित सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–70 / 2016 – 3926 / कृ०, पटना, दिनांक 06 - 10 - 2017

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, सरकार के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–70 / 2016 – 3926 / कृ०, पटना, दिनांक 06 - 10 - 2017

प्रतिलिपि : सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।